WWW.JAGRANJOSH.COM

छत्तीसगढ़ राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2011: विधि का पाठ्यक्रम

विधि

प्रथम प्रश्न पत्र

1. भारत की संवैधानिक विधि :

(1) संविधान की भूमिका
(2) मूल अधिकार
(3) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त
(4) राष्ट्रपति तथा उनकी शक्तियां, राज्यपाल तथा उनकी शक्तियां
(5) राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों की उद्घोषणा
(6) विधायी शक्तियों का विभाजन
(7) सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय
(8) सिविल सेवकों को सुरक्षा
(9) संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग
(10) संविधान में संशोधन
(11) लोक हित में मुकदमेबाजी

2. प्रशासनिक विधि :

(1) प्रत्यायोजित विधान जिसमें उसका न्यायिक तथा संसदीय नियंत्रण सम्मिलित हो
(2) नैसर्गिक न्याय तथा औचित्य या निष्पक्षता का सिद्धान्त
(3) प्रशासनिक न्यायाधिकरण
(4) लेख (रिट) – परमादेश लेख, उत्प्रेषण लेख, बंदी
प्रत्यक्षीकरण लेख, अधिकार पृच्छा लेख ।
(5) औम्बजमैन–लोकपाल, लोक आयुक्त तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग

3. छत्तीसगढ़ भू–विधि :

(1) भूमि तथा भू–राजस्व
(2) राजस्व अधिकारी तथा उनकी शक्तियां
(3) सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त
(4) भू–राजस्व का निर्धारण
(5) अधिकार अभिलेख
(6) भूधारी उनके अधिकार तथा दायित्व

द्वितीय प्रश्न पत्र
अपराध विधि

(एक) भारतीय दंड संहिता

(क) परिभाषायें, विस्तार एवं प्रयोज्यता

(ख) आपराधिक दायित्व के सामान्य अपवाद

(ग) संयुक्त तथा रचनात्मक दायित्व (धारा 34, 114, 149)

(घ) सार्वजनिक शान्ति के विरूद्ध अपराध

(ड) मानव शरीर के विरूद्ध अपराध

(च) सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध

(छ) प्रयास

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता

(1) प्रारंभिक विचार, विस्तार, प्रयोज्यता, परिभाषा आदि

(2) न्यायालयों का गठन

(3) न्यायालयों की शक्तियां

(4) (क) पुलिस, गिरफ्तार करने, तलाशी लेने तथा सम्पत्ति जब्त करने की शक्ति

(ख) अपराधों की रोकथाम

(5) जनकर्तव्य

(क) पुलिस तथा मजिस्ट्रेट की सहायता करना

(ख) कतिपय अपराधों के बारें में सूचना देना

(6) बन्दी बनाए गए व्यक्तियों के अधिकार

(क) गिरफ्तारी के कारणों को जानना

(ख) जमानत

(ग) बिना विलम्ब के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना

(घ) न्यायिक जांच के बिना 24 घंटों से अधिक निरूद्ध न रखना

(ड) विधि व्यवसायी से परामर्श लेना

(च) चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच किया जाना

(7) गिरफ्तारी से संबन्धित उपबन्धों का पालन न करने के परिणाम

(8) अनिवार्य उपस्थिति के लिए आदेशिकाएं

(क) सम्मन

(ख) गिरफ्तारी का वारंट

(ग) विज्ञप्ति तथा कुर्की

(घ) आदेशिकाओं से संबंधित अन्य नियम

(9) अनिवार्य रूप से वस्तुओं के प्रस्तुतीकरण की आदेशिकाएं

(क) सम्मन

(ख) तलाशी

(ग) जब्ती

(10) तलाशी में की गई अनियमितताओं तथा अवैधताओं के परिणाम

(11) पुलिस को सूचना, जांच–पड़ताल करने की उनकी शक्तियां

(12) तहकीकात तथा न्याय जांच में न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र

(13) कार्यवाही संस्थित करने के लिए पर्याप्त शर्तें

(14) मजिस्ट्रेटों को की गई शिकायतें तथा मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्रवाई की शुरूआत ।

(15) आरोप

(16) न्याय जाँच का प्रकार (परीक्षण)

(अ)

सत्र–न्यायालय के समक्ष

(आ)मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट के मामले ।

(क)पुलिस प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्यथा संस्थित मामले ।

(ख)पुलिस प्रतिवेदन पर संस्थित मामले ।

(ग)न्याय जांच का निष्कर्ष

(इ)सम्मन मामले

(क)मजिस्ट्रेटों द्वारा न्याय जांच की प्रक्रिया

(ख)संक्षिप्त न्याय–जांच (परीक्षण)

(17) तहकीकात तथा न्याय – जांच में साक्ष्य

(18) तहकीकात तथा न्याय – जांच में सामान्य उपबन्ध ।

(क) परिसीमन की अवधि (अध्याय 36)

(ख) अन्य दोषमुक्ति तथा अन्य दोष सिद्धि ।

(ग) अपराधों की शमनीयता

(घ) अभियोजन से प्रत्याहार (वापसी)

(ड) सह अपराधी को क्षमादान ।

(च) राज्य के खर्च पर अभियुक्त को विधिक सहायता

(19) जमानत

(20) फैसला ।

(21) अपील ।

(22) संदर्भ, पुनरीक्षण तथा अन्तरण ।

(23) पत्नियों, बच्चों तथा माता–पिता का भरण–पोषण।

(तीन)दुष्कृति की विधि

(1) उपेक्षा ।

(2) उपद्रव (अपदूषण)

(3) हमला (प्रहार)

(4) मार–पीट (संप्रहार)

(5) मानहानि ।

(6) राज्य दायित्व सहित प्रतिनिहित दायित्व ।

(चार)वाणिज्य विधि

संविदा विधि के सामान्य सिद्धान्त, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 1 से 75, क्षतिपूर्ति, प्रत्याभूति, उपनिधान (बंधक), गिरवी तथा एजेन्सी की विधि । माल विक्रय विधि, भागीदारी विधि ।